

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चिरवली
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान.....चिरवली.....

-:आदेश:-

कावडी प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोचरी व भू.अ.नि.
की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सिससिर की अनुशुंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चिरवली तहसील चिरवली जिला
उंडरपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2025-2228 में खाता संख्या 304 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>चिरवली</u>	304	<u>सजोभा पुत्र अखमा</u>	<u>चैतनलाल पुत्र अखमा</u>

चिरवली
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, चिरवली

कमांक :- 308-3/0

दिनांक :- 18-11-2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, चिरवली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री चैतनलाल पुत्र अखमा को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चिरवली
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, चिरवली